



उ०प्र० पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड

(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग,
लखनऊ।

संख्या : 8-विनियम/पाकालि/12-3-विनियम/92

दिनांक : 14 मई, 2012

अधिसूचना

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 7-विनियम/पाकालि/12-3-विनियम/92 दिनांक 9 मई, 2012 द्वारा उ०प्र० शासन की अधिसूचना सं-4/1/2002 टी०सी०-1-का-2/2012 दिनांक 08-05-2012 को अंगीकृत करने के पश्चात् उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के निदेशक मण्डल "अर्टिकिल्स ऑफ एसोसियेशन" में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० ज्येष्ठता विनियमावली, 2008 को संशोधित कर निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं :-

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० ज्येष्ठता विनियमावली, 2012

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :-

(अ) यह विनियमावली " उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० ज्येष्ठता विनियमावली, 2012" कही जायेगी।

(ब) यह 17 जून, 1995 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

2. उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० ज्येष्ठता विनियमावली, 2008 द्वारा उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता विनियमावली, 1998 में विनियम-8 के पश्चात् बढ़ाया गया नया नियम- 8 'क' निकाल दिया जायेगा।
3. उक्त के फलस्वरूप कारपोरेशन की पूर्व में जारी अधिसूचना सं० 62-विनियम/पाकालि/08-3-विनियम/92 दिनांक 26.3.08 को उसके प्रभावी होने की तिथि 17.6.1995 से ही निरस्त माना जायेगा एवं कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं०-7 विनियम/पाकालि/12-3-विनियम/92 दिनांक 9 मई, 2012 का बिन्दु-2 तदनुसार संशोधित किया जाता है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

संख्या :- 8-(1)-विनियम/पाकालि/12 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबंध निदेशक उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०/उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० के निजी सचिव।
4. प्रबंध निदेशक, डिस्काम/केस्को।
5. समस्त निदेशकगण, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अराजपत्रित)/महाप्रबंधक (लेखा प्रशासन) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता (वेबसाइट), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।


(जावेद अहमद)
उप सचिव (विनियम)